शैक्षणिक परिषद की दिनांक 25 मई 2015 को बराद सदन शैक्षणिक खंड,

गंगटोक में आयोजित 17वीं बैठक के कार्यवृत्त

निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :

1. प्रो. टी बी सुब्बा, कुलपति	-	अध्यक्ष
2. प्रो. डी के नायक, भूगोल विभाग, एनईएचयू	-	सदस्य
3. डा. एन आर भुईयां प्राचार्य, हिमालयन फार्मेसी संस्थान, माझीटार	-	सदस्य
4. प्रो. ज्योति प्रकाश तामाङ, डीन, जीव विज्ञान का स्कूल	-	सदस्य
5. प्रो. प्रताप चंद्र प्रधान, डीन, भाषाएँ एवं साहित्य का स्कूल	-	सदस्य
6. डा. धनीराज छेत्री डीन, छात्र कल्याण	-	सदस्य
7. प्रो. ए एस चंदेल, पुस्तकालयाध्यक्ष	-	सदस्य
8. डा. देवाशिष चौधुरी, परीक्षा नियंत्रक	-	सदस्य
9. प्रो. इर्शाद गुलाम अहमद, अंग्रेजी विभाग	-	सदस्य
10. डा. सुबीर मुखोपाध्याय, प्रमुख, भौतिकी विभाग	-	सदस्य
11. डा. नवल के पासवान, प्रमुख, शांति एवं संघर्ष अध्ययन तथा प्रबंधन	-	सदस्य
12. डा. वी कृष्ण अनंत, प्रमुख, इतिहास विभाग	-	सदस्य
13 डा. ए एन शंकर प्रमुख, वाणिज्य विभाग	-	सदस्य
14. डा. एन सत्यनारायण, प्रमुख, वनस्पतिशास्त्र विभाग	-	सदस्य
15. डा. एच के तिवारी, प्रमुख, माइक्रोबायोलॉजी विभाग	-	सदस्य
16 डा. मनीष, प्रमुख, अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग	-	सदस्य

17. डा. कविता लामा, - सदस्य
प्रमुख, नेपाली विभाग

18. डा. एस मणिवन्नान, - सदस्य
प्रमुख, होर्टिकल्चर विभाग

19. डा. मनेश चौबे, - सदस्य
प्रमुख, अर्थशास्त्र विभाग

20. डा. वी रामा देवी, - सदस्य
प्रमुख, प्रबंधन विभाग

21. डा. दुर्गा प्रसाद छेत्री, - सदस्य
प्रमुख, राजनीतिशास्त्र विभाग

22. डा. स्वाती अक्षय सचदेवा, - सदस्य
प्रमुख, समाजशास्त्र विभाग

23. डा. कोत्रा राइने रामा मोहन, - सदस्य
प्रमुख, एंथ्रोपोलोजी विभाग

24. डा. नूतनकुमार एस थिंगुजाम, - सदस्य
प्रमुख, मनोविज्ञान विभाग

25. डा. शिलाजीत गुहा, - सदस्य
प्रमुख, जन संचार विभाग

26. डा. कमल सिंघा, - सदस्य
एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग

27. डा. पुष्पा शर्मा, - सदस्य
एसोसिएट प्रोफेसर, नेपाली विभाग

28. डा. एस एस महापात्रा, - सदस्य
एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग

29. डा. लक्षुमन शर्मा, - सदस्य
एसोसिएट प्रोफेसर, होर्टिकल्चर विभाग

30. श्री टी के कौल, - सचिव
रजिस्ट्रार

निम्नलिखित सदस्यगण पूर्व-कार्यव्यस्तता के कारण बैठक में भाग नहीं ले सके एवं अनुपस्थिति हेतु छुट्टी की याचना की:

1. प्रो. संजय राय, समाजशास्त्र विभाग, एनबीयू
2. डा. (श्रीमती) लिली आले, प्राचार्य, सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, तादोंग
3. प्रो. समीरा मैती, डीन, मानविकी विज्ञान का स्कूल

आरंभ में कुलपति ने परिषद के सभी सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात, कार्यसूची मद पर निम्नानुसार चर्चा हुई:

भाग 1

कार्यवृत्त एवं अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट का पुष्टीकरण

एसी17:1:1: शैक्षणिक परिषद की दिनांक 05 मई 2014 को आयोजित 16वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि:

शैक्षणिक परिषद की दिनांक 05 मई 2014 को आयोजित 16वीं बैठक के कार्यवृत्त सभी सदस्यों के बीच दिनांक 24 नवंबर 2014 को परिचालित किए गए थे। परिषद के किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई थी।

शैक्षणिक परिषद की दिनांक 05 मई 2014 को आयोजित 16वीं बैठक एवं सदस्यों के बीच दिनांक 24 नवंबर 2014 को यथापरिचालित इसके कार्यवृत्त की पुष्टि कर ली गई थी।

एसी17:1:2: शैक्षणिक परिषद की दिनांक 05 मई को 2014 को आयोजित 16वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट

परिषद की 16वीं बैठक के कार्यवृत्त पर अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट सचिव द्वारा प्रस्तुत की गई। परिषद द्वारा इसे नोट किया गया।

भाग 2

संपुष्टि हेतु मामले

एसी17:2:1: पुस्तकालय प्रबंधन समिति का गठन

प्रो. ए एस चंदेल,पुस्तकलायाध्यक्ष ने इस मद को प्रस्तुत किया। निम्नलिखित सदस्यों के साथ पुस्तकालय प्रबंधन समिति की एक उप-समिति का गठन पुस्तकालय प्रबंधन समिति के संघटन, साथ ही इनके कर्तव्य एवं कार्य सुझाए जाने के लिए किया गया:

1. श्री डी कानुनज्ञ, सलाहकार (वित्त) - अध्यक्ष
2. श्री टी के कौल, रजिस्ट्रार - सदस्य
3. प्रो. ए एस चंदेल, पुस्तकालयाध्यक्ष - सदस्य

पुस्तकालय प्रबंधन समिति के संघटन, कर्तव्य एवं कार्य के संबंध में उप-समिति द्वारा की गई अनुशंसाओं का कुलपति द्वारा अनुमोदन किया गया तथा पुस्तकालय प्रबंधन समिति के गठन के संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी।

परिषद ने कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की संपुष्टि इस संशोधन के साथ किया कि दो छात्रों के स्थान पर तीन ऐसे स्कूलों से, जिनका प्रतिनिधित्व डीन द्वारा नहीं किया गया है, तीन छात्रों को छात्र कल्याण के डीन द्वारा एक वर्ष की अवधि हेतु नामित किया जाये।

भाग 3

विचारार्थ एवं अनुमोदन हेतु मामले

एसी17:3:1: जीबीपीएचआईईडी, अलमोढ़ा एवं ओकेडीआईएससीडी, गुवाहाटी की संबद्धता

जीबीपीएचआईईडी, अलमोढ़ा एवं ओकेडीआईएससीडी, गुवाहाटी से एसयू के साथ पीएचडी प्रोग्राम के लिए संबद्धता हेतु प्रस्ताव पर कुलपति को शैक्षणिक परिषद द्वारा इनकी 16वीं बैठक में प्रस्तावों के परीक्षण हेतु एक समिति का गठन करने तथा अगली बैठक में अपनी अनुशंसाओं को प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। तदनुसार, कुलपति ने डा. वी कृष्णा अनंत (अध्यक्ष), तथा डा. एन सत्यनारायण एवं डा. नूतनकुमार एस थिंगुजाम के साथ इसके सदस्य के रूप में एक समिति गठित की थी।

परिषद ने विचार विमर्श के पश्चात समिति की अनुशंसाओं का अनुमोदन किया तथा ओसी-7 के अंतर्गत अपने प्रस्ताव पर विचार किया।

एसी17:3:2: भारतीय साइन लैंगवेज़ विभाग की स्थापना

परिषद ने निम्नलिखित संकाय सदस्यों के साथ एक समिति का गठन इस प्रकार के विभाग की संभाव्यता एवं छात्रों के नियोजन के अवसरों सहित पर विचार करने के लिए किया :

i) प्रो. पी सी प्रधान - अध्यक्ष
ii) डा. शिलाजीत गुहा - सदस्य
iii) डा. समर सिन्हा - संयोजक

समिति की रिपोर्ट पर परिषद द्वारा अगली बैठक में विचार किया जाएगा।

एसी17:3:3: विश्वविद्यालय में 12वीं योजनान्तर्गत यूजीसी चेयरों की स्थापना

परिषद ने विश्वविद्यालय में निम्नलिखित चेयरों के निर्माण की अनुशंसा की जिसके लिए अनुमोदन एवं निधि-प्रदाय हेतु यूजीसी से संपर्क किया जा सकता है:

क्र. सं.	नाम	विषय/क्षेत्र	विभाग
1	अमर्त्य सेन चेयर	अर्थशास्त्र अध्ययन	अर्थशास्त्र
2	सी वी रमण चेयर	भौतिकी/रसायनशास्त्र	भौतिकी/रसायनशास्त्र
3	डा. बी आर अंबेडकर चेयर	संवैधानिक अध्ययन	इतिहास
4	डा. एस राधाकृष्णन चेयर	शिक्षा	शिक्षा
5	मदर टेरेसा चेयर	शांति अध्ययन	शांति एवं संघर्ष अध्ययन एवं प्रबंधन
6	रबिन्द्रनाथ टैगोर चेयर	संगीत	संगीत
7	सरदार बल्लभ भाई पटेल चेयर	शासन	राजनीति शास्त्र/ अंतर्राष्ट्रीय संबंध
8	सर सैयद अहमद खान चेयर	शिक्षा	शिक्षा
9	हरगोविंद खुराना चेयर	जीव विज्ञान	जीव विज्ञान

एसी17:3:4: इंटर्नशीप पर छात्रों के लिए दैनिक भत्ता का भुगतान

शैक्षणिक परिषद ने अपनी 16वीं बैठक में इंटर्नशीप पर नियमावली का अनुमोदन करने के दौरान विश्वविद्यालय को अतिरिक्त 100 एवं 50 रुपये की दैनिक भत्ता में वृद्धि से संभावित प्रभाव आकलित करने की सलाह दी गई थी। तत्पश्चात इस विषय को वित्त विभाग को उनकी टिप्पणियों के लिए प्रस्तुत किया गया। वित्त मंत्रालय ने वर्तमान में दैनिक भत्ता की दरों में वृद्धि नहीं किए जाने के लिए निम्नलिखित तर्काधार दिया:

i) गैर-गृहनगर इंटर्नशीप हेतु रु.100/- एवं गृहनगर के लिए रु.75/- की वर्तमान दैनिक दर अभी हाल में दिनांक 28 जनवरी 2015 से प्रभावी है। अतः इतनी अल्पावधि में दैनिक दर में संशोधन किया जाना उचित नहीं है।

ii) वर्तमान दैनिक दरों के कारण व्यय को वहन करने में इंटर्न छात्रों द्वारा किसी कठिनाई के व्यक्त किए जाने का कोई अभिलेख नहीं है।

iii) छात्रों को भी इंटर्नशीप कार्यक्रमों के लिए व्यय के एक अंश का अपने वैयक्तिक/ पारिवारिक श्रोतों से वहन करना चाहिए।

समिति ने वित्त विभाग के दृष्टिकोण के साथ सहमति व्यक्त किया।

एसी17:3:5: हिमालयन फार्मेसी संस्थान में पीएचडी प्रोग्रामों की प्रस्तावना

हिमालयन फार्मेसी संस्थान फार्मेसी में पीजी पाठ्यक्रमों का संचालन वर्ष 2005 से कर रहा है तथा यहाँ तक कि उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के अंतर्गत पीएचडी प्रोग्रामों का भी संचालन करता रहा है, जो कि इसके सिक्किम विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने के बाद बंद हो गया। पीएचडी हेतु अनुसंधान के प्रति अनुमति प्रदान किए जाने के लिए पीजी पाठ्यक्रमों का विद्यमान होना परिषद द्वारा अनुसरण किया जा रहा मानदंड है।

परिषद ने एचपीआई में पीएचडी प्रोग्राम लागू किए जाने के प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की, परंतु वर्तमान में प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना असामयिक माना गया। तथापि, परिषद एचपीआई को ओसी-7 के अंतर्गत एक अनुसंधान संस्थान मानने के लिए सहमत हुए, जिसका अर्थ यह हुआ कि एचपीआई में नामांकित पीएचडी छात्र माइक्रोबायोलॉजी विभाग में पाठ्यक्रम-कार्य में भाग ले सकेंगे तथा उनके अनुसंधान प्रोग्रामों की माइक्रोबायोलॉजी में अध्ययन बोर्ड एवं जीव विज्ञान के स्कूल बोर्ड द्वारा वैटिंग की जाएगी। जहां तक पाठ्यक्रम कार्यों में फार्मेसी पेपरों का संबंध है, इनकी पढ़ाई एचपीआई के संकाय सदस्यों द्वारा की जाएगी, क्योंकि विश्वविद्यालय में फार्मेसी विभाग नहीं है।

परिषद ने एक समिति का गठन एचपीआई में अगले शैक्षणिक वर्ष से इस परिवर्तन पर प्रभावी रूपात्मकता सुझाए जाने के लिए किया:

1. प्रो. जे पी तामाङ, डीन, जीव विज्ञान का स्कूल (अध्यक्ष)
2. डा. वी कृष्णा अनंत, एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग (सदस्य)
3. डा. एच के तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर, माइक्रोबायोलॉजी विभाग (सदस्य)
4. डा. लक्षुमन शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, होर्टिकल्चर विभाग (सदस्य)

एसी17:3:6: हिन्दी/नेपाली पुस्तकों एवं जर्नलों में आईएसएसएन/आईएसबीएन की छुट

नेपाली विभाग के निम्नलिखित आवधिक जर्नलों पर एपीआई की गिनती के उद्देश्य से आईएसएसएन में छुट हेतु अनुरोध पर विचार किया गया तथा इसका अनुमोदन किया गया:

प्रक्रिया,बाड्ुली,चाप गुराँस एवं परदेसी

एसी17:3:7: विधि विभाग

अध्यक्ष ने परिषद को सूचित किया कि विधि विभाग एक एकीकृत बीए-एलएलबी तथा द्विवर्षीय एलएलएम प्रोग्राम का संचालन करता है। एलएलएम छात्रों का प्रथम बैच जुलाई 2015 में पास आउट करेगा। विभाग ने अगस्त 2015 से एमफिल/पीएचडी पाठ्यक्रम अपने स्वयं के अध्ययन बोर्ड एवं स्कूल बोर्ड के माध्यम से आरंभ करने का प्रस्ताव किया है। अध्यक्ष ने आगे सूचित किया कि वर्तमान में 3 शिक्षकगण एमफिल छात्रों को तथा 1 पीएचडी स्तर पर मार्गदर्शन देने के योग्य है। एमफिल एवं पीएचडी हेतु ड्राफ्ट सिलेबस भी परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

परिषद ने विचार-विमर्श के पश्चात **अनुलग्नक-1** में यथाप्रदत्त विधि विभाग में एमफिल/पीएचडी प्रोग्राम हेतु सिलेबस का अनुमोदन किया एवं वर्तमान में विभाग में 6 एमफिल एवं 1 पीएचडी छात्रों के नामांकन हेतु अनुमति प्रदान किया।

परिषद ने निम्नलिखित के साथ एक समिति का भी गठन विधिशास्त्र में अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम की निरंतरता की संभाव्यता का अध्ययन निम्नलिखित दो तथ्यों की दृष्टि से करने के लिए किया: एक, बीए-एलएलबी में नामांकन लेने वाले छात्रों की संख्या विभाग के इतिहास में कभी भी दो अंकों तक नहीं पहुँच सकी, एवं दूसरा विधि में अंडरग्रेजुएट शिक्षा सिक्किम सरकार से निधिप्राप्त बुर्तुक सरकारी विधि महाविद्यालय में पूर्णरूपेण मुफ्त कर दिया गया है:

1. डा. एन के पासवान, डीन, सामाजिक विज्ञान का स्कूल - अध्यक्ष
2. वि.प्र./प्रभारी, विधि विभाग - सदस्य
3. डा. वि कृष्णा अनंत, वि.प्र., इतिहास - सदस्य
4. डा. मनीष, वि.प्र. अंतर्राष्ट्रीय संबंध - सदस्य

एसी17:3:8: शिक्षा विभाग

शैक्षणिक परिषद ने अपनी 16वीं बैठक में विभाग के एमफिल एवं पीएचडी प्रोग्राम आरंभ करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया था। शिक्षा में एमफिल एवं पीएचडी हेतु **अनुलग्नक-2** में यथाप्रस्तुत पाठ्यक्रम कार्य सिलेबस का परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया।

एसी17:3:9: स्नातक कला, विज्ञान, विधि, चिकित्सा, शिक्षा, गृहविज्ञान, वाणिज्य एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की संरचना पर ओसी-4 के प्रति संशोधन

परिषद ने बैचलर ऑफ कॉमर्स के बाद बैचलर ऑफ वोकेसन (बी.वीओसी) के अनुप्रवेश हेतु अध्यादेश ओसी-4 के प्रति संशोधन पर विचार किया, ताकि विश्वविद्यालय बी.वीओसी डिग्री अवार्ड करना आरंभ कर सके।

विचार-विमर्श के पश्चात परिषद ने ओसी-4 के प्रति संशोधन का अनुमोदन किया।

एसी17:3:10: राष्ट्रीय सेवा पर अनिवार्य लेखापरीक्षा पेपर

शैक्षणिक परिषद ने अपने 16वीं बैठक में मास्टर स्तर पर 4 क्रेडिट का राष्ट्रीय सेवा का एक अनिवार्य पेपर के रूप में अनुमोदन किया तथा सुझाव दिया कि एनएसएस कक्ष इस पेपर के मूल्यांकन की रीति-ढंग तैयार करे। एनएसएस कक्ष ने तदनुसार मूल्यांकन की बहुलकताओं का निर्माण किया परंतु सभी विभागों के छात्रों के प्रति क्रेडिट/अंक प्रदान करने के लिए समरूप मूल्यांकन पैटर्न होना कठिन है। अतः परिषद के प्रति यह प्रस्तावित

किया गया कि पूर्ववर्ती परिषद बैठक में यथानिर्णित, सभी पीजी छात्रों के लिए 4 क्रेडिट के अनिवार्य पेपर के स्थान पर इस पेपर को अनिवार्य लेखापरीक्षा पेपर के तौर पर बनाया जाये।

डा. वी कृष्णा अनंत शैक्षणिक परिषद के पेपर को अनिवार्य करने के निर्णय से असहमत हुए।

एसी17:3:11: परीक्षाओं के संचालन पर विनियमावली के प्रति संशोधन

परीक्षा नियंत्रक ने इस मद को प्रस्तुत किया तथा परीक्षाओं के संचालन पर विनियमावली को संशोधित किए जाने की आवश्यकता का वर्णन किया।

परिषद ने विचार-विमर्श के पश्चात इन कार्यवृत्त के साथ सम्बद्ध **अनुलग्नक-3** में यथाप्रस्तुत परीक्षाओं के संचालन पर संशोधित विनियमावली का अनुमोदन किया। तथापि, विस्तृत चर्चा के उपरांत यूजीसी द्वारा सीबीसीएस पर अपने मार्गदर्शनों में व्यक्त की गई इच्छानुसार क्वेश्चन बैंक प्रणाली के कार्यान्वयन पर निर्णय को आस्थगित रखा गया, क्योंकि कुछ सदस्यों ने प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। इसलिए प्रश्न-पत्र सेटिंग से संबन्धित विनियमावली के खंड-3 में उप-खंड 'ए' से 'ई' तक होंगे परंतु खंड-3 से नीचे एनबी-1 उप-खंड 'आई' से 'एक्सआई' वर्तमान में विनियमावली का अंश नहीं होगा।

एसी17:3:12: प्लेज्यरिज़्म समिति का गठन

शैक्षणिक समिति की 16वीं बैठक में, प्रो. ए एस चंदेल की अध्यक्षता में डा. सुबीर मुखोपाध्याय, डा. वी कृष्णा अनंत एवं डा. एन सत्यनारायण, एसोसिएट प्रोफेसरों के साथ एक समिति का गठन प्लेज्यरिज़्म की सीमा के बारे में सुझाव देने के लिए किया गया था जिसे कि सहिष्णुता की स्वीकार्य सीमा के अंतर्गत माना जाये। समिति ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि एमफिल एवं पीएचडी शोधप्रबंधों में प्लेज्यरिज़्म के प्रति शून्य सहिष्णुता होनी चाहिए। तथापि, 20% तक की समानता स्वीकार किया जाये, यदि प्लेज्यरिज़्म सॉफ्टवेयर द्वारा निम्नलिखित निस्यंदित नहीं होता है:

1. उद्धृत वाक्य
2. बिब्लिओग्राफिक उद्धरण
3. शब्दों का अल्प मेल-मिलाप
4. चित्र एवं सारिणियाँ

परिषद ने समिति की अन्तरिम अनुशंसाओं का अनुमोदन किया। यह निर्णय लिया गया कि समरूपता लाने के उद्देश्य से एक लाइसेंसकृत एंटि-प्लेज्यरिज़्म सॉफ्टवेयर का चुनाव किया जाएगा तथा इसे विश्वविद्यालय के प्रति प्रस्तुत किए गए शोधप्रबंधों में समानता की जांच के उद्देश्य से विश्वविद्यालय का कार्यालयी सॉफ्टवेयर माना जाएगा। आगे यह निर्णय लिया गया कि परीक्षा नियंत्रक शोधप्रबंधों की प्लेज्यरिज़्म जांच करेगा तथा रिपोर्ट की एक प्रति संबन्धित विभाग के एचओडी/आईसी के समक्ष प्रस्तुत करेगा तथा यदि किसी शोधप्रबंध में उपरोक्त चार प्रकार की अंतर्वस्तु के अतिरिक्त 20% से अधिक की समानता होती है तो इसे परीक्षक के पास मूल्यांकन हेतु नहीं भेजा जाएगा।

एसी17:3:13: वर्ष 2015-16 हेतु विवरणिका

अध्यक्ष ने परिषद को सूचित किया कि अभी तक विवरणिका को कभी शैक्षणिक परिषद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। तथापि, यह वांछनीय माना गया कि शैक्षणिक परिषद, विश्वविद्यालय के उच्चतम नीति निर्धारक प्राधिकार के रूप में, इसे पब्लिक डोमैन में रखने के पूर्व इसका अनुमोदन करे।

अध्यक्ष ने परिषद को यह भी सूचित किया कि केंद्रीय नामांकन समिति एवं नामांकन पर कार्य-संचालन समिति अधिसूचित की गई थी, जिसकी परिषद द्वारा संपुष्टि की गई।

परिषद ने यह प्रस्ताव भी अनुमोदित किया कि एमफिल/पीएचडी प्रवेश जांच-परीक्षा हेतु प्रश्न-पत्र परीक्षा नियंत्रक द्वारा भेजे जाएँगे। एकीकृत एवं पीजी प्रोग्रामों में नामांकन हेतु, परिषद ने अनुशंसा की कि देश के विभिन्न भागों से प्रवेश जांच-परीक्षा में शामिल होने के लिए सिक्किम आने में अभ्यर्थियों द्वारा अनुभव की जाने वाली संभावित कठिनाइयों की दृष्टि से, तथा देश एवं इसके बाहर विभिन्न भागों में विश्वविद्यालय द्वारा रखी जाने वाली जांच-परीक्षाओं में संलग्न खर्च की दृष्टि से, जैसा कि पूर्व के कार्य-व्यवहार में था, प्रवेश जांच-परीक्षा तभी आयोजित की जाये जब यह प्रबंधन एवं संगीत सदृश कुछ व्यवसायिक शास्त्रों के मानदंड के अनुसार आवश्यक हों।
शैक्षणिक परिषद ने इन कार्यवृत्त के साथ **अनुलग्नक-4** में यथाप्रस्तुत वर्ष 2015-16 हेतु विवरणिका का अनुमोदन किया।

भाग 4

प्राधिकारों एवं समितियों के कार्यवृत्त

एसी17:4:1: महाविद्यालय विकास परिषद की दिनांक 21 मई 2015 को आयोजित 3री बैठक के कार्यवृत्त

परिषद ने महाविद्यालय विकास परिषद की दिनांक 21 मई 2015 को आयोजित 3री बैठक के कार्यवृत्त पर विचार किया तथा निम्नलिखित अनुशंसाओं का अनुमोदन किया:

1. विश्वविद्यालय द्वारा बीए-एलएलबी (ऑनर्स) पाठ्यक्रम हेतु बीसीआई से अनुमोदन प्राप्त होने तक बीए-एलएलबी प्रोग्राम की निरंतरता तथा शैक्षणिक वर्ष 2015-16 हेतु अपने बीए-एलएलबी पाठ्यक्रम के नवीनीकरण हेतु आवेदन किया जाना।

2. मुख्या. 63 माउंटेन ब्रिगेड, 99 एपीओ के मानव संसाधन विकास केंद्र के प्रति चाइनीज भाषा में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम के लिए दी गई संबद्धता को संबद्धता शुल्क की गैर-आदायगी के कारण वापस लिया जाना।

3. शासकीय निकाय/ परामर्श समिति पर अध्यादेश का इस संशोधन के साथ अनुमोदन किया गया कि शासकीय निकाय के संघटन में महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा नामित किए जाने योग्य दो छात्र प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाएगा (**अनुलग्नक-5**)।

4. महाविद्यालय विकास परिषद की अनुशंसाओं के अनुसार 8 महाविद्यालयों को अस्थाई संबद्धता प्रदान किया जाना।

5. **अनुलग्नक-6** में यथाउपबंधित सीबीसीएस एवं एनएसक्यूएफ पर मार्गदर्शन का अनुमोदन किया गया।

6. सिक्किम विश्वविद्यालय एवं इसके साथ संबद्ध महाविद्यालयों में प्रत्येक पाठ्यक्रम में 2 सीटों का जम्मू एवं काश्मीर के छात्रों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2015-16 हेतु अतिसंख्य कोटा के अंतर्गत, 10% तक कट-ऑफ प्रतिशतता, आवासीय प्रमाण-पत्र की वांछनीयता की माफी आदि छुट सहित आरक्षण का अनुमोदन किया।

एसी17:4:2: डीन की समिति की दिनांक 13 मार्च 2015 को आयोजित दूसरी बैठक के कार्यवृत्त

परिषद ने डीन की समिति की दिनांक 13 मार्च 2015 को आयोजित दूसरी बैठक के कार्यवृत्त पर विचार किया तथा विश्वविद्यालय अनुसंधान अवार्ड की स्वीकृति हेतु मार्गदर्शनों के खंड 11 एवं 12 के अंतर्गत दिये गए गुणता प्रकाशन हेतु विशेष प्रोत्साहन पर इनकी अनुशंसाओं का अनुमोदन किया। खंड 1 से 10 तक का अनुमोदन परिषद की 16वीं बैठक में किया गया था।

एसी17:4:3: जीव विज्ञान के स्कूल बोर्ड की दिनांक 15 मई 2015 को आयोजित दूसरी बैठक के कार्यवृत्त

परिषद ने निम्नलिखित को नोट/अनुमोदित किया:

- माइक्रोबायोलॉजी विभाग में पर्यवेक्षकों एवं सह-पर्यवेक्षकों के साथ-साथ 10 पीएचडी प्रस्ताव
- वनस्पतिशास्त्र विभाग में 3 पीएचडी सिनोप्सिस
- प्राणीशास्त्र में एमफिल/पीएचडी पाठ्यक्रमकार्य हेतु सिलेबस (**अनुलग्नक-7**)

एसी17:4:4: भाषाएँ एवं साहित्य के स्कूल बोर्ड की दिनांक 12 मई 2015 को आयोजित दूसरी बैठक के कार्यवृत्त

परिषद ने निम्नलिखित को नोट/अनुमोदित किया:

- अंग्रेजी विभाग में इनके पर्यवेक्षकों सहित 3 पीएचडी सिनोप्सिस
- अंग्रेजी विभाग में इनके पर्यवेक्षकों सहित 5 एमफिल सिनोप्सिस
- हिन्दी विभाग में एमफिल हेतु सिलेबस (**अनुलग्नक-8**)
- नेपाली विभाग में 6 पीएचडी सिनोप्सिस एवं 10 एमफिल सिनोप्सिस

परिषद ने आगे कुलपति को हिन्दी एवं एंथ्रोपोलोजी विभाग में एकीकृत बीए-एमए पाठ्यक्रम आरंभ किए जाने की संभाव्यता अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित करने को प्राधिकृत किया, क्योंकि इन विषयों की पढ़ाई सिक्किम के किसी महाविद्यालय में नहीं होती है।

एसी17:4:5: भौतिक विज्ञान के स्कूल बोर्ड की दिनांक 09 मई 2015 को आयोजित 3री बैठक के कार्यवृत्त

परिषद ने निम्नलिखित को नोट/अनुमोदित किया:

- भौतिक विज्ञान विभाग में पर्यवेक्षकों सहित छात्रों के 5 पीएचडी एवं 2 एमफिल प्रस्ताव;
- रसायनशास्त्र विभाग में छात्रों के 2 एमफिल प्रस्ताव; एवं
- प्रैक्टिकल पेपरों के लिए बाह्य परीक्षकों की सूची

एसी17:4:6: सामाजिक विज्ञान के स्कूल बोर्ड की दिनांक 22 मई 2015 को आयोजित 3री बैठक के कार्यवृत्त

परिषद ने निम्नलिखित को नोट/अनुमोदित किया:

- निम्नानुसार 43 एमफिल सिनोप्सिस:
  अर्थशास्त्र-7; इतिहास-8; अंतर्राष्ट्रीय संबंध-7; शांति तथा संघर्ष अध्ययन एवं प्रबंधन-6; राजनीतिशास्त्र-10; समाजशास्त्र-5;

- निम्नानुसार 12 पीएचडी सिनोप्सिस:
  अर्थशास्त्र-3; इतिहास-2; अंतर्राष्ट्रीय संबंध-1; शांति तथा संघर्ष अध्ययन एवं प्रबंधन-2; राजनीतिशास्त्र-1; समाजशास्त्र-3

एसी17:4:7: मानविकी विज्ञान के स्कूल बोर्ड की दिनांक 22 मई 2015 को आयोजित 3री बैठक के कार्यवृत्त

परिषद ने निम्नलिखित को नोट/अनुमोदित किया:

- मनोविज्ञान विभाग में छात्रों के 2 पीएचडी एवं 2 एमफिल प्रस्ताव;
- एंथ्रोपोलोजी में एमफिल/पीएचडी हेतु सिलेबस (**अनुलग्नक-9**)
- भूगोल विभाग में पर्यवेक्षकों के साथ-साथ 01 पीएचडी एवं 01 एमफिल प्रस्ताव

एसी17:4:8: व्यावसायिक अध्ययनों के स्कूल बोर्ड की दिनांक 23 मई 2015 को आयोजित 2री बैठक के कार्यवृत्त

परिषद ने निम्नलिखित को नोट/अनुमोदित किया:

- एम एड प्रोग्राम के 1ले एवं 2रे सेमेस्टर हेतु सिलेबस; (**अनुलग्नक-10**)
- जन संचार में मास्टर डिग्री हेतु संशोधित सिलेबस; (**अनुलग्नक-11**)
- जन संचार हेतु एमफिल/पीएचडी पाठ्यक्रमकार्य सिलेबस
- जन संचार विभाग हेतु 3 एमफिल एवं 2 पीएचडी प्रस्ताव;
- जन संचार में एम.फिल. शोध-पत्र तथा एम ए व्यावहारिक परीक्षा हेतु परीक्षक का पैनल;
- प्रबंधन विभाग में एमबीए परियोजना कार्य

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक समाप्त घोषित हुई।

हस्ता/-	**हस्ता/-**
(टी के कौल)	**(टी बी सुब्बा)**
रजिस्ट्रार एवं सचिव	**कुलपति एवं अध्यक्ष**